IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–चतुर्थ
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS

पत्रांक: 1663 /नि0प्रा0सं0–05/2016

दिनांक: 14/6/ 2017.

स्वीकृति पत्र

सेवा में,

श्री अंकुर जैन,
रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल प्रा0लि0,
हाल –एच–1 द्वितीय तल पदम प्लाजा,
सेक्टर–16 बी, सिकंदरा योजना,आगरा।

विषय – सिकंदरा योजना आगरा के सेक्टर– 13 में स्थित बल्क सेल भूखण्ड सं0 बी0एस0–10 पर प्रस्तावित कार्यालय भवन के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

परिषद की सिकंदरा योजना आगरा के से0– 13 में स्थित बल्क सेल भूखण्ड सं0 बी0एस0–10 पर प्रस्तावित कार्यालय भवन के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में आपके आवेदन दिनांक 08.05.2017 के कम में प्राप्त प्रपत्रों एवं मानचित्रों के परीक्षणोपरांत नि0प्रा0 आदेश रजिस्टर सं0 12 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि 14/6/17 से 13/6/2022 तक पांच वर्ष की होगी।
2. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र में लाल रंग से अंकित किए गए संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित **कुल क्षेत्रफल 4637.62 वर्ग मी0**(2बेसमेंट+भूतल+4) क्षेत्रफल के लिए **2320.00 वर्ग मी0** के भूखण्ड पर प्रदान की गई है।बेसमेंट में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफएआर में आगणित नहीं किया गया है। बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जाएगा।
6. बेसमेंट +भूतल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरुप सुनिश्चित किए जाने के उपरांत (संबंधित खण्ड से)पुष्टि के पश्चात शेष अनुवर्ती तलों पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड –28 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
8. भूखण्ड में आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखण्ड के अंदर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों /भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जाएगा।
10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि प्रश्नगत भवन में हो रहे कियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस किया कलाप को रोकने /हटाने हेतु परिषद के नियमों का पालन किया जाएगा।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
12. शासनादेश के अनुसार कम से कम प्रति 100 व0मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
14. अधिशासी अभियन्ता, नि0खंड 28 आगरा के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखंड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

15. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी आगरा के पत्रांक सी0एफ0ओ0–अ.सु0–08 / 17(भवन) दिनांक 5.4.2017 के द्वारा **निर्गत** एन0ओ0सी0 में अंकित शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।
16. भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पुनः अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
17. भूकम्परोधी शा0सं0 570–9–आर0–1–2001(आ0ब0)दिनांक 3.2.2001 एवं 375 / 9–आर0–1 भूकम्परोधी / 2001 आवास अनुभाग–1 दिनांक 20.7.2001 के अंतर्गत शर्तें सेट के एक स्वीकृत मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गई हैं, जिसका अनुसरण करना होगा।
18. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र ढॉचागत (स्ट्रक्चरल) प्राविधानों के अंतर्गित करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है।
19. योजना नगर निगम को हस्तांतरित होने के कारण भूखण्ड पर निर्माण से पूर्व नगर निगम / जल संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर अधि0अभियंता निप0खण्ड–28 आगरा को निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व प्रेषित किया जाना होगा।
20. आवंटी द्वारा भवन के उपयोग से पूर्व पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाणपत्र एवं स्थानीय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा, निर्माण कार्य यथामानक सही पाए जाने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा।
21. आवंटी द्वारा शासनादेश संख्या–410 / 8–3–16–18विविध / 2016 के अनुसार चूकि परियोजना निर्माण की अवधि एक वर्ष से अधिक है तब उपकर की सम्पूर्ण धनराशि योजनावधि समाप्ति के 30 दिन के अन्दर भुगतान करनी होगी।
22. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
23. शासनादेश के अनुसार सोलर पैसिव पद्धति को अनिवार्य रुप से लागू करना होगा।
24. समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।

संलग्नक:

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट
2. स्ट्रक्चरल डिजाइंस एवं गणना का एक सेट
3. अग्निशमन मानचित्रों का एक सेट
4. पूर्णता प्रमाणपत्र हेतु प्रपत्र स

14/6/17

(अजीत दुबे)
वास्तुविद नियोजक

पत्रांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियंता षष्टम वृत्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद आगरा को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड –28 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि आवंटी जल शुल्क के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाणपत्र जल संस्थान आगरा से प्राप्त कर आपको प्रेषित करेगा।
3. सहायक आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंध आफिस काम्प्लेक्स से0– 9 सिकंदरा आगरा।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, शान्तीपुरम आगरा को प्रपत्र 'च' सहित।

(अजीत दुबे)
वास्तुविद नियोजक